न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : स्वदीप सिंह
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3531–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–10–2012 पारित द्वारा अपर कलेक्टर जिला ग्वालियर प्रकरण कमांक 51/11--12/ निगरानी.

---

1 डॉ मुकुल तिवारी पुत्र श्री डॉ पूनमचद्र तिवारी
2 श्रीमती अर्चना तिवारी पत्नी श्री डॉ मुकुल तिवारी
थनवासी विश्वदिद्यालय मार्ग ग्वालियर

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1 डॉ योगेन्द्र सिंह पहाडिया आस्था क्लीनिक
ए0 जी0 ऑफिस के सामने ग्वालियर म0 प्र0
2 प्रकाश अग्रवाल पुत्र श्री रामेश्वरदयाल
निवासी शारदा बिहार कॉलोनी सिटी सेन्टर ग्वालियर
3 श्रीमती नीता पहाडिया पत्नी श्री डॉ योगेन्द्र पहाडिया
निवासी चेतकपुरी गेट के सामने ए0 जी0 ऑफिस ग्वालियर म0 प्र0
4 आस्था एज्युकेशन सोसायटी डॉ योगेन्द्र सिंह पहाडिया एवं
नीता पहाडिया निवासी आस्था डेन्टल क्लीनिक चेतकपुरी के सामने ग्वालियर

.....अनावेदकगण

5 जितेन्द्र सिंह
6 दौलत सिंह
7 चिम्मनसिंह पुत्रगण रामवरन सिंह
निवासीगण ग्राम पिपरौली तहसील व जिला ग्वालियर म0 प्र0

श्री जगदीश श्रीवास्तव एवं श्री मुकेश बेलापुरकर अभिभाषक, आवेदकगण
श्री आर0 डी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1 से 4

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 13 जून, 2014)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 6–10–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 4 संस्था की ओर से आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम पिपरौली स्थित भूमि सर्वे कमांक 419/2 रकबा 3.679 हेक्टेयर संस्था द्वारा कय की गई है और उक्त भूमि का सीमाकंन व बटाकंन नहीं हुआ है, अतः सीमाकंन कराया जाये । आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा आवेदन पत्र मूलतः कलेक्टर, ग्वालियर को भेजा गया, जिसे अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा प्राप्त किया गया । अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा प्रकरण कमांक 53/19/2010–11 दर्ज किया जाकर सीमाकंन दल का गठन किया गया, जिसमें श्री नरेन्द्र सिंह वाल्यान, सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख, श्री सुखदेव सेंगर, राजस्व निरीक्षक, श्री शिवनन्दन सिंह कुशवाह, राजस्व निरीक्षक, श्री जगदीश धागोरिया, राजस्व निरीक्षक श्री अशोक सिंह तोमर आर0 आई0 श्री देवेन्द्र गोले भृत्य श्री महेन्द्र करारिया, भृत्य को सम्मिलित किया गया । सीमाकंन दल द्वारा दिनांक 10–2–2011 को सीमाकंन किया जाकर पंचनामा तैयार कर सीमाकंन प्रतिवेदन अधीक्षक भू–अभिलेख को प्रस्तुत किया गया। उक्त सीमाकंन पर आवेदक कमांक 1 द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर इस आशय की आपत्तियां की गई कि दिनांक 10–2–2011 को ग्राम पिपरौली चिरवाई नाका स्थित सर्वे कमांक 419 का सीमाकंन किया गया है, वह गलत हुआ है, क्योंकि इस सीमाकंन के अनुसार उन्हें लगभग 1,68,000 वर्गफीट भूमि मिल रही है, जबकि रकबा अनुसार 1,80,000 वर्गफीट भूमि मिलना चाहिये । भूमि के क्षेत्रफल की नाप में नाले की चौडाई को संज्ञान में नहीं लिया गया है । पूर्व में दिनांक 7–7–2010 को सीमाकंन हो चुका है, अतः उसे ही अंतिम मानकर सीमा निर्धारित की जाये । इसी प्रकार एक अन्य आवेदन पत्र कप्तान सिंह गुर्जर द्वारा प्रस्तुत कर सीमाकंन के संबंध में इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई कि सर्वे कमांक 419 की नाप 7 बार हो चुकी है और सातों बार अलग–अलग सीमा चिन्ह आये है । अतः दिनांक 10–2–2011 को किया गया सीमाकंन निरस्त कर मेढ़े की नाप की जाये, जिससे कोई झगडा फसाद न हो । अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा दिनांक 26–2–2011 को आदेश पारित कर आवेदक कमांक 1 एवं

कप्तान सिंह गुर्जर की आपत्ति निरस्त की गई । तदोपरान्त सीमाकंन आदेश दिनांक 27–7–2011 पारित किया गया । अधीक्षक भू–अभिलेख के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर, ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 6–10–2012 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषकों द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा पूर्व में अपनी भूमि का सीमाकंन कराया गया था और उस समय आवेदकगण की पूर्ण भूमि पाई गई थी । उक्त सीमाकंन को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दिये जाने के कारण वह अंतिम हो गया है । यह भी कहा गया कि बाद में अनावेदक कमांक 4 द्वारा इसी भूमि के सीमाकंन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है और जिसमें आवेदकगण को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदकगण की ओर से अधीक्षक भू–अभिलेख के समक्ष सीमाकंन के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की गई थी । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा केवल ओके लिख कर आदेश पारित किया गया है, जो कि बोलता हुआ आदेश मान्य नही किया जा सकता है । यह भी कहा गया कि सीमाकंन पंचनामें पर आवेदकगण के हस्ताक्षर नहीं है, इसलिये आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये, परन्तु अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमाकंन आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई थी । अपर कलेक्टर द्वारा भी उपरोक्त आधारों पर बिना विचार किये आदेश पारित किया गया, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर पुनः सीमाकंन हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि उभय पक्ष प्रश्नाधीन भूमि के सह खातेदार नहीं है और दोनो पक्षों की पृथक पृथक भूमियां है, इसलिये पूर्व में हुये सीमाकंन को चुनौती देने की कोई आवश्यकता नहीं थी । यह भी कहा गया कि जब आवेदकगण द्वारा सीमाकंन में अधीक्षक भू–अभिलेख के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर दी गई है तब उन्हें सूचना दिया जाना महत्वहीन है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण की मुख्य रूप से यह आपत्ति है कि पूर्व में हुये

सीमाकंन को अंतिम माना जाये और पुनः सीमाकंन नहीं किया जाये, जबकि संहिता की धारा 129 के अंतर्गत कोई भी भूमिस्वामी अपनी भूमि का सीमाकंन करा सकता है, उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है । इस आधार पर कहा गया कि अनावेदक कमांक 4 अपनी भूमि का सीमाकंन कराने हेतु स्वतंत्र है । तर्क के समर्थन में 1998 राजस्व निर्णय 318 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अधीक्षक भू–अभिलेख के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख सहित 4 राजस्व निरीक्षकों एवं 2 भृत्यों का सीमाकंन दल गठित किया गया है । सीमाकंन दल द्वारा दिनांक 10–2–2011 को सर्वे कमांक 419/2 की भूमि का सीमाकंन किया गया है । उक्त सीमाकंन कार्यवाही में आवेदक कमांक 1 श्री मुकुल तिवारी उपस्थित रहे है, परन्तु उनके द्वारा पंचनामा पर हस्ताक्षर नहीं किये गये है । सीमाकंन दल द्वारा विधिवत सीमाकंन किया जाकर पंचनामा, फील्ड बुक व नक्शा तैयार कर प्रतिवेदन अधीक्षक भू–अभिलेख को प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आवेदक कमांक 1 डा मुकुल तिवारी द्वारा इस आशय की आपत्तियां प्रस्तुत की गई हैं कि सर्वे कमांक 419 का सीमाकंन गलत हुआ है, उन्हें नये सीमाकंन में 1,68,000 वर्गफीट भूमि ही मिल रही है, जबकि रकबा अनुसार उन्हें 1,80,000 वर्गफीट भूमि मिलना चाहिये । भूमि की नाप में नाले की चौड़ाई संज्ञान में नही ली गई है। पूर्व में दिनांक 7–7–2010 को हुये सीमाकंन को ही अंतिम मानकर सीमा निर्धारित की जाये। अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा दिनांक 26–2–2011 को यह निष्कर्ष निकालते हुये कि आवेदक कमांक 1 डा मुकुल तिवारी को उनके स्वत्वानुसार पुरा रकबा दिया गया है । ऐसी स्थिति में अब उन्हें सीमाकंन पर क्यों आपत्ति है, समझ से परे है, आवेदक कमांक 1 की आपत्तियां निरस्त की गई । यहां यह विचारणीय प्रश्न है कि आवेदक कमांक 1 द्वारा सर्वे कमांक 419 के किये गये सीमाकंन को गलत बताया है, जबकि सीमाकंन दल द्वारा सर्वे कमांक 419/2 का सीमाकंन किया गया है । आवेदक कमांक 1 सर्वे कमांक 419/1 का भूमिस्वामी है, जबकि सीमाकंन 419/2 का किया गया है तथा सीमाकंन के पश्चात श्री तिवारी को उनका पूरा रकबा दिया गया है । इस प्रकार अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा आवेदक की आपत्ति निरस्त कर सीमाकंन आदेश पारित करने में पूर्णतः विधिसंगत

कार्यवाही की गई है । इस संबंध में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि केवल ओके लिखकर सीमाकंन आदेश पारित किया गया है, जो कि बोलता हुआ आदेश मान्य नहीं किया जा सकता है । क्योंकि दिनांक 26–2–2011 को सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा सकारण आदेश पारित करते हुये आवेदक कमांक 1 एवं कप्तान सिंह गुर्जर द्वारा प्रस्तुत आपत्तियां निरस्त की गई हैं एवं पंचनामा, नक्शा ट्रेस, फील्ड बुक एवं रिकार्ड मय सूचना पत्र का अवलोकन किया गया और दिनांक 27–7–2011 को सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख ने इस आशय की टीप अंकित कर प्रकरण अधीक्षक भू–अभिलेख के समक्ष प्रस्तुत किया गया है कि प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है, अतः प्रकरण नस्ती दाखिल किया जाना उचित होगा । आदेशार्थ । अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा उक्त टीप से सहमत होकर ओके लिखा गया है, अतः यह नहीं ठहराया जा सकता है कि अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा ओके लिखकर आदेश पारित किया गया है । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क भी उचित नहीं है कि जिस भूमि का पूर्व में सीमाकंन हुआ था उसी भूमि का सीमाकंन अनावेदक कमांक 4 द्वारा कराया जा रहा है, क्योंकि पूर्व में सीमाकंन सर्वे कमांक 419/1 का हुआ था तथा बाद में सीमाकंन सर्वे कमांक 419/2 का हुआ है । जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है कि सीमाकंन कार्यवाही में आवेदक कमांक 1 उपस्थित रहे है और उनके द्वारा आपत्ति भी प्रस्तुत की गई है, अतः आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क भी अमान्य योग्य है कि सीमाकंन कार्यवाही में उन्हैं किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई । दर्शित परिस्थिति में अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा पारित सीमाकंन आदेश विधिसम्मत होने से उसकी पुष्टि करने में अपर कलेक्टर द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिये अपर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–10–2012 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर